

न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर—235103000822013

व्यवहार वाद कं.—145ए/16

संस्थापित दिनांक—28.10.13

1.घनश्याम पुत्र नन्दे आयु 59 वर्ष जाति बाढई धंधा खेती 2.शिवराज पुत्र नन्दे जाति बाढई आयु 55 वर्ष धंधा खेती दोनों निवासीगण ग्राम नानकपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। <div>.....वादीगण</div>
3.वारोबाई वेवा नन्दे बाढई ———“मृत” <div>विरुद्ध</div>
1.रतिराम पुत्र खूवे जाति बाढई आयु 65 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम नानकपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर। 2.भागोबाई पुत्री खूवे पत्नी रघुनाथ आयु 70 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम सकवारा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर। <div>.....प्रतिवादीगण</div>
3.म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0। <div>..... फोरमल प्रतिवादी</div>
वादी द्वारा श्री के एन भार्गव अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री चौरसिया अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 3 पूर्व से एकपक्षीय।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 09.05.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम नानकपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 282, 289 कुल रकबा 5.216 हेक्टेयर के 1/2 भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण आधे-आधे भाग के स्वत्वाधिकारी हैं। वादीगण के अनुसार राजस्व अभिलेख में बारोबाई का नामांतरण प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 16.08.1997 से हुआ था तथा उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग के वे स्वत्वाधिकारी हो गए। वादीगण के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी दोनों उक्त विवादित भूमि के आधे-आधे भाग पर खेती करते हैं, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए आवेदन पत्र के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी ने बिना साक्ष्य लिए तथा बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से आदेश पारित कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया। वादीगण के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.13 विधिविरुद्ध है। वादीगण के अनुसार वे बंदोबस्त के समय से उक्त विवादित भूमि पर खेती कर रहे हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में हेराफेरी करवाई गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित

किया जावे, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.13 को शून्य घोषित किया जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग पर खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1/3 भाग पर खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करवाई है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग पर खेती नहीं कर रहे तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 उक्त विवादित भूमि के 2/3 भाग पर काबिज होकर खेती कर रहा है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम नानकपुर तहसील चंदेरी की भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा 3.972 एवं सर्वे क्रमांक 0.289 रकवा 1.244 हेक्टेयर कुल नंबर 2 कुल रकवा 5.216 हेक्टेयर में से 1/2 भाग के स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित करा पाने	“नहीं”

	के अधिकारी हैं ?	
02.	क्या प्रतिवादीगण, वादीगण के आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?	“नहीं”
03.	यदि हो तो क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“नहीं”
04.	क्या वादी अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 1अ5/12-13 आदेश दिनांक 28.09.2013 को शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है ?	“नहीं”
05.	क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	“हां”
06.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 घनश्याम, वा.सा. 02 जालम की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही खसरा संवत् 2013 प्रपी 01, प्रपी 02, नक्शा प्रपी 03 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रपी 04 अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 रतिराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 29 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 05 एवं 06 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

**—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 04 ::—**

08. वा.सा. 01 घनश्याम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का वह स्वत्वाधिकारी है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वारोबाई का नाम भी अंकित था और उनकी मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार वे उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग के स्वत्वाधिकारी हो गए हैं। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं तथा प्रतिवादी द्वारा एसडीएम न्यायालय में आवेदन दिया गया था जिसमें रिकार्ड की अनदेखी कर गलत आधारों पर साक्ष्य लिए बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया। उक्त साक्षी के अनुसार वे एवं प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि के आधे-आधे भाग पर कृषि कार्य कर रहे हैं तथा बंदोबस्त का रिकार्ड राजस्व का मूल आधार है, किंतु उसके बाद भी उनके स्वत्व को नकारते हुए प्रतिवादीगण द्वारा उनके भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार वा.सा. 02 जालम ने अपने कथन में बताया है कि वह वादीगण को जानता है तथा उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का आधा हिस्सा है। वा.सा. 01 के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके पिता एवं उनके भाई के जमींदारी के समय की है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी एवं उनका एक ही नंबर है और शामिल खाता है तथा बंदोबस्त के बाद विवादित भूमि किसके नाम थी वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण ने कभी भी उनसे झगडा नहीं किया और न ही कभी भी उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास

किया।

09. वा.सा. 02 के अनुसार उसने विवादित भूमि के कागज नहीं देखे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष विवादित भूमि को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उक्त साक्षी के अनुसार वह यह नहीं बता सकता कि दोनों पक्षों की आधी-आधी भूमि कब हो गई और कैसे हो गई। उक्त साक्षी के अनुसार चालीस वर्ष पूर्व विवादित भूमि के दो हिस्से पर प्रतिवादी का कब्जा था। प्रतिवादी साक्षी 01 रतिराम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण ने उक्त विवादित भूमि पर गलत तरीके से 1/2 भाग पर अपना नाम चढ़वा लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार जब उसे किताब मिली थी तब दो हिस्से पर उसका नाम था तथा एक हिस्से पर वादी का नाम था।

10. वादीगण ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा.सा. 02 ने अपने कथन में स्पष्ट बताया है कि उक्त विवादित भूमि दोनों पक्षों ने आधी-आधी कब कर ली उसे जानकारी नहीं है। वा.सा. 02 ने उसके समक्ष कोई भी झगडा होने से इंकार किया है। वा.सा. 01 जो कि स्वयं वादी है उसने भी अपने कथनों में बताया है कि प्रतिवादी ने उसके समक्ष विवादित भूमि पर कभी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार वादी की साक्ष्य उसके द्वारा वादपत्र में किए गए अभिवचनों के बिल्कुल विपरीत है। वादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया। वादीगण के अनुसार उनका तथा प्रतिवादीगण का एक ही सर्वे क्रमांक है जिसके आधे-आधे भाग पर वे काबिज हैं, किंतु वादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि की चतुर सीमाएं नहीं बताई गई हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त विवादित भूमि के कौन-से आधे भाग पर उनका आधिपत्य है।

11. वादी ने अपने वादपत्र में यह बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके पिता के स्वत्व की भूमि थी, किंतु यह नहीं बताया है कि उनके पिता को उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व कैसे प्राप्त हुए। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उनकी मां बारोबाई का नाम दर्ज था, किंतु वादीगण ने एक भी राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उक्त विवादित भूमि पर बारोबाई का नाम अंकित होना दर्शित होता हो। वादी ने प्रपी 03 का जो नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत किया है उसके आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। राजस्व न्यायालय का आदेश दिनांक 28.09.13 की सत्य प्रतिलिपि जो अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि जिल्द बंदोबस्त में कांट-छांट की गई है। कांट-छांट से 2/3 के स्थान पर 1/2 अंकित किया गया है।

12. प्रतिवादीगण ने वर्ष 1963 से लेकर वर्ष 1983 के जो खसरे अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं उन सब में उक्त विवादित भूमि पर वादीगण या उनके पिता का 1/3 भाग होना दर्शित हो रहा है। वर्ष 1995 के खसरे प्रडी 01 में भी यही स्थिति है तथा वर्ष 2013-14 का खसरा प्रडी 02 में भी यही स्थिति है। इस प्रकार एक बहुत लंबे समय तक उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम 1/3 भाग दर्ज रहा है तथा प्रतिवादीगण का 2/3 भाग दर्ज रहा है। वादीगण ने मात्र बंदोबस्त के संबंध में खसरा वर्ष 1956 प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग पर वादीगण का नाम अंकित किया गया है, किंतु इसी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.09.13 में यह निष्कर्ष पाया गया है कि बंदोबस्त की प्रविष्टियों में कांट-छांट की गई है। वादीगण ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील क्यों नहीं की, इसका भी कोई उल्लेख वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि इतने लंबे समय तक उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादीगण का नाम 1/3 भाग पर दर्ज

रहा, किंतु उसके संबंध में वादीगण ने राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की। इसका भी कोई उल्लेख वादीगण द्वारा न तो अपने वादपत्र में किया गया है और न ही अपनी साक्ष्य में।

13. इस प्रकार मात्र प्रपी 01 के खसरे के आधार पर वादीगण को उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। वादीगण ने जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उससे ही प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया और इस प्रकार वादीगण की साक्ष्य से ही यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.13 शून्य है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.—05 ::—

14. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। जिसके लिए वादी ने 600 रुपये न्यायशुल्क अदा किया है। वादीगण द्वारा चस्पा न्यायशुल्क, न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (IV) के प्रावधानों के अंतर्गत चस्पा किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया जाना प्रमाणित हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।



—:: वादप्रश्न क्रं.-06 ::—

15. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

16. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर